न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र साण्डेराव

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

म्युटेशन अपील सं. 03/2014
दायरा तिथि 03.02.2014
निर्णय तिथि 06.06.2017

अपीलांटः– **बनामः** **रेस्पोडेन्ट्सः–**

श्रीमती सुशीला पुत्री जगदीशसिंहजी पत्नी ब्रह्मसिंहजी जाति माली निवासी मगरा पूंजला तहसील व जिला जोधपुर (राज.)

1–श्रीमती चान्दकंवर पत्नी भवनेश्वरसिंहजी जाति माली निवासी तारसर कृषि फार्म मण्डोर रोड जोधपुर हाल निवासी कच्छवाह कृषि फार्म साण्डेराव

2–सरकार जरिए तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

म्युटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 RLRAct,1956

(विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1132 दिनांक 20.06.2008 सरपंच, ग्राम पंचायत साण्डेराव द्वारा स्वीकृत किया गया है, को निरस्त कराने बाबत्)

–: निर्णय :–

निर्णय तिथि 06.06.2017

उपरोक्त म्युटेशन अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र साण्डेराव में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में वर्णित वाद–विषयक स्थिति अनुसार अपीलांट द्वारा यह म्युटेशन अपील कतिपय प्रावधान के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा साण्डेराव चक–I तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 991 रकबा 7.28 हेक्टर किस्म जवाई नहरी–द्वितीय अपीलांट की खातेदारी आयी हुई है व रेस्पोडेन्ट सं.01 का ससुर दुष्यन्तसिंह पुत्र जगदीशसिंहजी अपीलांट का सगा भाई है और अपीलरांट ने अपने भाई पर भरोसा व विश्वास करके उपरोक्त कृषि भूमि की देखरेख करने हेतु अपीलांट ने आम मुख्त्यानामा दिनांक 06.10.1983 को लिख कर दिया था, परन्तु दुष्यन्तसिंह ने बद्नियति से अपीलांट को धोखा देकर अपीलांट की उक्त खातेदारी कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट सं.01 के जो दुष्यन्तसिंह के पुत्र भुवनेश्वरसिंह की पत्नी है, के नाम पंजीबद्ध बख्शीशनामा द्वारा हस्तान्तरण कर दी जिसके आधारित ग्राम पंचायत साण्डेराव से मिलीभगत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.1132 दिनांक 20.06.2008 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं.01 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दी। इस प्रकार अपीलांट के भाई दुष्यन्तसिंह ने अवैध व बद्नियतिपूर्ण से अपीलांट की उक्त खातेदारी भूमि को बख्शीशनामा तैयार कर स्थानीय ग्राम पंचायत से मिली भगत करके अपीलाधीन नामान्तरकरण को विधि विरूद्ध स्वीकृत करवा दिया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से अपीलांट को न्याय दिलाने हेतु प्रश्नगत् मामले में धारा 5 मर्यादा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में अभिव्यक्त कथनों व तथ्यों के आधारित अपील डिले को कण्डोन करते हुए कतिपय प्रावधान के तहत इस प्रश्नगत् नामान्तरकरण अपील को स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 1132 दिनांक 20.06.2008 जो कि सरपंच ग्राम पंचायत साण्डेराव द्वारा बिना न्यायिक जांच के विधि–विरूद्ध स्वीकृत किया है, को न्यायहित में निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत् म्युटेशन अपील के साथ साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः पंजीबद्ध मुख्त्यानामा दिनांक 06.10.1983, पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 15.05.2008, म्युटेशन सं.1132 दिनांक 20.06.2008 व न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सुमेरपुर द्वारा Cri.Rev. No.13/2012 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2013 की प्रतिया पेश की है।

(2) कि कथित मामले में रेस्पोडेन्ट सं.01 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रश्नगत् नामान्तरकरण अपील के तमाम आधारित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अपीलांट को प्रश्नगत् कृषि भूमि से संबंधित पंजीबद्ध मुख्त्यानामा दिनांक 06.10.1983, पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 15.05.2008, म्युटेशन सं.1132/20.06.2008 व राजस्व रेकर्ड की पूर्ण जानकारी रहते यह नामान्तरकरण अपील

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

म्याद बाहर पेश की है, इसके अलावा इस नामान्तरकरण अपील में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी ग्राम पंचायत साण्डेराव को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट की तथाकथित नामान्तरकरण अपील जो म्याद बाहर व विधि के तहत नहीं होने से आधारहीन है, अतः इसे खारिज फरमावे। कथित मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव से वस्तुतःस्थिति की जांच रिपोर्ट रेकर्ड पर ली गई।

(3) कि प्रश्नगत् मामले में राजस्व लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय दिलाने हेतु हमने, पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि के बारे में मनन व विधिक विचारण किया। फलस्वरूप हमने पाया कि पंजीबद्ध मुख्त्यानामा दिनांक 06.10.1983 व पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 15.05.2008 विधिमान्य दस्तावेज है तथा उक्त विधिमान्य दस्तावेज पंजीबद्ध बख्शीशनामा दिनांक 15.05.2008 के अनुरूप ही अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.1132 दिनांक 20.06.2008 स्वीकृत हुआ है जिसमें प्रथमतः किसी प्रकार की विधिक त्रुटि जाहिर नहीं होती है, इसके अलावा अपीलांट को तथाकथित व उल्लेखित तमाम दस्तावेजों की पूर्णतः जानकारी होते हुए भी प्रश्नगत् नामान्तरकरण अपील म्याद के बाहर प्रस्तुत की है, और साथ ही प्रश्नगत् नामान्तरकरण अपील में स्थानीय ग्राम पंचायत साण्डेराव आवश्यक पक्षकार होते हुए उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए हमारे विधिक विचारों में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपीलाधीन नामान्तरकरण अपील म्याद बाहर व विधि के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं होने से आधारहीन है जो प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचित तथ्यों के परिणामतः सरहद मौजा साण्डेराव चक–ा तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 991 रकबा 7.28 हेक्टर किस्म जवाई नहरी–द्वितीय से संबंधित अपीलाधीन नामान्तरकरण सं.1132 दिनांक 20.06.2008 जो ग्राम पंचायत साण्डेराव द्वारा स्वीकृत किया हुआ है, को निरस्त करने बाबत् अपीलांट की यह अपीलाधीन नामान्तरकरण अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के कतिपय प्रावधानों के तहत म्याद बाहर व विधि के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत नहीं होने से आधारहीन है जो प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 06.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प–साण्डेराव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर(पाली)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner